

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-2296/2016/कोटा

अमित जैन, पुनित जैन, अंकित जैन पिसरान जी.सी. जैन
निवासीगण सी-245, तलवण्डी, कोटा (राज.)

.....प्रार्थी.

बनाम्

1. सरकार जरिये उप पंजीयक कोटा-द्वितीय, कोटा
2. श्रीमती रुचि अग्रवाल पत्नी श्री सुधीर गुप्ता
3. सुधीर गुप्ता आत्मज एस.एन. गुप्ता
निवासीगण 2-क-37 विज्ञान नगर, कोटा (राज)

.....अप्रार्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुप्रित जैन
अभिभाषक।

.....प्रार्थी की ओर से.

श्री आर.के. अजमेरा

उप-राजकीय अभिभाषक।

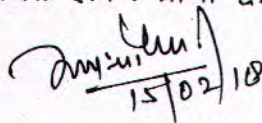
.....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से.

अप्रार्थी सं. 2 तथा 3 (तामील के प्रक्रम पर)

दिनांक : 15.02.2018

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा (जिसे आगे "अधीनस्थ न्यायालय" कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण सं. 356/2010 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2016 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा-65 के तहत प्रस्तुत किया गया।
2. उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती रुचि अग्रवाल तथा अप्रार्थी संख्या 3 श्री सुधीर गुप्ता द्वारा श्री अमित जैन, श्री पुनित जैन तथा श्री अंकित जैन पिसरान श्री जी.सी. जैन के पक्ष में एक विक्रय पत्र तहरीर कर उप पंजीयक कोटा द्वितीय में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। उप पंजीयक द्वारा तत्समय उक्त दस्तावेज की मालियत 75,00,000/- रुपये पर दस्तावेज संख्या 5000 दिनांक 20.08.2010 पर पंजीयन कर दस्तावेज पक्षकारों को लौटा दिये गये। उप पंजीयक द्वारा दिनांक 25.09.2010 को मौका निरीक्षण के दौरान पाया कि प्लॉट संख्या 54 राजीव गांधी नगर कोटा में स्थित है तथा बिक्रीत प्लॉट की पंक्ति में दोनों ओर हॉस्टल बने हुये है तथा व्यवसायिक उपयोग में आ रहे है। अतः व्यवसायिक दर से गणना कर अन्तर राशि वसूली की कार्यवाही हेतु उप पंजीयक कोटा द्वितीय द्वारा प्रार्थी को नोटिस दिया गया। प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि जमा नहीं करने पर उप पंजीयक कोटा द्वारा रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा द्वारा सम्पत्ति की मालियत 1,06,49,944/- रुपये निर्धारित कर कमी स्टाम्प 1,86,220/- रुपये पेनल्टी 1,32,220/- कुल 3,18,440/- रुपये राजकोष में जमा कराने के आदेश पारित किये। कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा के आदेश दिनांक 19.07.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।


15/02/18

लगातार.....2.

3. निगरानी दर्ज कर रिकार्ड व अप्रार्थीगण के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 तथा 3 की तामील नहीं हुई है किन्तु अप्रार्थी सं. 2 तथा 3 विक्रेता है तथा मुद्रांक शुल्क का दायित्व प्रार्थी क्रेता पर है इसलिए निर्णय किये जाने पर अप्रार्थी सं. 2 तथा 3 की तामील नहीं होने का उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कारित नहीं होता है।
4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्लॉट संख्या 54 राजीव गांधी नगर, कोटा को दिनांक 20.08.2010 को श्रीमती रुचि तथा सुधीर गुप्ता से खरीदा जो कि नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा दिनांक 15.12.2003 आवासीय उद्देश्य से आवंटन किया गया तथा प्रश्नगत सम्पत्ति की लीज डीड भी दिनांक 16.04.2010 से आवासीय पंजीबद्ध है। साथ ही दिनांक 01.06.2010 को नगर विकास न्यास से स्वामित्व हस्तारण की स्वीकृति भी प्राप्त है।
6. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि उप पंजीयक द्वारा प्रश्नगत भूमि को व्यवसायिक मानकर आर.आर.टी. 2007(1) पेज 486, आर.आर.टी. 2007(1) पेज 349, आर.आर.टी. 2006-07(supp) पेज 228, आर.आर.टी. 2006-07(Supp) पेज 169 तथा आर.आर.टी. 2009(2) पेज 902 के अनुसार भूखण्ड की मालियत, वक्त पंजीयन, सम्पत्ति की रिपोर्ट के अनुसार निश्चित की जानी चाहिये। पंजीयन के समय प्रश्नगत भूखण्ड खाली थी एवं आवंटन पत्र तथा लीज डीड में भी प्रश्नगत भूखण्ड को आवासीय प्रयोजनार्थ उल्लेखित किया गया है। अतः भविष्य में होने वाली उपयोग की संभावनाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाना विधि सम्मत नहीं है। जबकि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि संचालित नहीं है। इसके बाद भी उप पंजीयक कोटा द्वारा प्रश्नगत भूमि को व्यवसायिक मानने में त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व की निगरानी को अपास्त करते हुए प्रार्थी की निगरानी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
7. अप्रार्थी राजस्व की ओर से उपस्थिति विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि नवीन नियमों के अनुसार चैकलिस्ट एवं दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुसार निर्धारित दरों से सम्पत्ति का मूल्यांकन कर देय मुद्रांक कर एवं फीस की वसूली करने के उपरान्त दस्तावेज को पंजीयन कर दिया गया। इसके बाद रेण्डम जांच में सलैक्ट होने पर उप पंजीयक द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट को दोहराते हुए कहा गया कि "प्लॉट संख्या 54 राजीव गांधी नगर कोटा को का मौका देखा

अमरजीत
15/02/18

लगातार.....3.

विकीत प्लॉट की पंक्ति में तथा सामने की पंक्ति में दोनों ओर हास्टल बने हुए है तथा व्यवसायिक उपयोग में आ रहे है। अतः प्लॉट का व्यवसायिक उपयोग सिद्ध है। अतः व्यवसायिक दर से गणना कर अंतर राशि वसूली कार्यवाही की जावे। ”

8. अप्रार्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिषाक ने तर्क दिया कि विभागीय परिपत्र 02/2004 के अनुसार भूमि को व्यवसायिक मानकर व्यवसायिक दर से मूल्यांकन तभी किया जावे, जब दस्तावेज निष्पादन के समय भूमि दुकानों या उस क्षेत्र के व्यवसायिक परिसरों की पंक्ति में हो। इस लिये प्रश्नगत भूमि को व्यवसायिक भूमि की दर से मानी जाकर कमी राशि मय शास्ति वसूली के कलक्टर (मुद्रांक), कोटा आदेश दिनांक 05.01.2015 को दिये गये, जो कि विधि सम्मत है तथा विद्वान उप राजकीय अभिषाक द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. विचाराधीन प्रकरण में विवाद का मुख्य यह है कि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति का मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाये या व्यवसायिक दर से?

11. विचाराधीन प्रकरण में विक्रय पत्र प्लॉट सं. 363 राजीव गांधी नगर योजना कोटा बाबत है। प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित उपरोक्त सम्पत्ति आवासीय मानकर मूल्यांकन कर दिनांक 20.08.2010 को पंजीबद्ध किया गया है। मौका निरीक्षण दिनांक 25.09.2010 को किया गया है। मौका निरीक्षण में टिप्पणी निम्न प्रकार है :-

“प्लॉट संख्या 54 राजीव गांधी नगर कोटा को का मौका देखा विकीत प्लॉट की पंक्ति में तथा सामने की पंक्ति में दोनों ओर हास्टल बने हुए है तथा व्यवसायिक उपयोग में आ रहे है। अतः प्लॉट का व्यवसायिक उपयोग सिद्ध है। अतः व्यवसायिक दर से गणना कर अंतर राशि वसूली कार्यवाही की जावे।”

उपरोक्त मौका निरीक्षण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है तथा दस्तावेज का मूल्यांकन व्यवसायिक दर से किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी क्रेता ने अधीनस्थ न्यायालय ने अपने जवाब में कथन किया है कि उक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र एवं लीज डीड नगर विकास न्याय कोटा द्वारा जारी की गई है जो आवासीय प्रयोजनार्थ है। मौके पर कोई निर्माण नहीं हो रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय में प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति को आसपास हॉस्टल बने होने से उसे व्यवसायिक पंक्ति में स्थित होना मानकर व्यवसायिक दर से मूल्यांकन किया है।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज नगर सुधार न्यास का आवंटन पत्र दिनांक 15.12.2003 में सम्पत्ति को आवासीय भूखण्ड बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नगर विकास न्याय कोटा के लील डीड क्रमांक 1113 दिनांक 23.05.2005 की फोटो प्रति में उक्त भूखण्ड का आवासीय होने का उल्लेख है।

Amrinder Singh
15/02/18

लगातार.....4.

मौका निरीक्षण में यह कहा गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड की पंक्ति में तथा पीछे की पंक्ति में होस्टल निर्मित या निर्माणाधीन है। इस मौका निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि प्रश्नगत सम्पत्ति का उपयोग व्यवसायिक हो रहा हो। जबकि पंजीयन के समय भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण होना भी नहीं बताया गया।

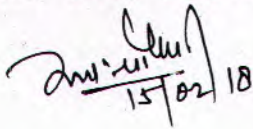
13. दस्तावेज के मूल्यांकन के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स में पारित निर्णय (2007)19 टैक्स अपडेट 355 का अवलोकन करना समीचीन होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में निम्न प्रकार मतप्रतिपादित किया है:-

"We are of the opinion that the view taken by the learned single Judge as well as by the Division Bench cannot be sustained and the same is set aside. The Collector shall determine what was the **valuation of the instrument on the basis of the market value of the property at the date when the document was tendered by the respondent for registration**, and the respondent shall pay the stamp duty charges and surcharges, if any, as assessed by the Collector as per the provisions of the Act."

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त से इस धारणा की पुष्टि होती है कि दस्तावेज का मूल्यांकन दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने की दिनांक को आधार मानकर किया जाना चाहिए। दस्तावेज पंजीयन के समय यह सम्पत्ति स्थानीय निकाय नगर विकास न्यास कोटा के रिकार्ड के अनुसार आवासीय योजना में स्थित है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ है, मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मौके पर व्यवसायिक उपयोग नहीं है। भूखण्ड किसी भी प्रकार का कोई निर्माण भी नहीं बताया गया। मात्र इस आधार पर कि आस-पास होस्टल होने के कारण व्यवसायिक पंक्ति में स्थित है, व्यवसायिक नहीं मानी जा सकती। भविष्य के उपयोग के आधार पर भूखण्ड को व्यवसायिक नहीं माना जा सकता। यह सुस्थापित है कि सम्पत्ति के बाजार मूल्य की गणना करने हेतु दस्तावेज पंजीयन की तिथि ही सुसंगत है। दस्तावेज पंजीयन के पश्चात् सम्पत्ति का भविष्य में क्या उपयोग किया जायेगा, इसकी कल्पना पूर्व में नहीं की जा सकती है। भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर बाजार मूल्य का निर्धारण औचित्यपूर्ण एवं विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

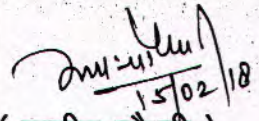
14. पूर्व में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निगरानी संख्या 1969/2013/कोटा बाबूलाल रूंगटा पुत्र ज्वाला प्रसाद रूंगटा बनाम उप पंजीयक कोटा (द्वितीय) व अन्य

लगातार.....5.


15/02/18

के निर्णय दिनांक 01.03.2016 के तथ्य इस प्रकरण के सामन है। जिसमें राजीव गांधी नगर, कोटा के प्लॉट नं 319 को होस्टल के आधार पर व्यवसायिक मानने के रेफरेन्स को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया था परन्तु प्रार्थी की निगरानी राजस्थान कर बोर्ड ने स्वीकार कर रेफरेन्स खारिज किया था। इस प्रकरण में रेफरेन्स इसी आधार पर भूखण्ड संख्या 54 राजीव गांधी नगर, कोटा का है। इस प्रकार प्रकरण समान होने के कारण दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा होता है।

15. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर इस पीठ के विनम्रमतानुसार प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति को व्यवसायिक माना जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2016 अपास्त किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।
16. परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 19.07.2016 अपास्त किया जाता है।
17. निर्णय सुनाया गया।


15/02/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य